न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 60/2017 एफ एस एस ए एक्ट

1. सरकार जरिये जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा,जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री सुरेश चन्द पुत्र श्री माधोलाल सैनी
एफबीओ मैसर्स— माधोलाल मिष्ठान भण्डार, भरतपुर रोड, महवा, जिला दौसा।
निवासी सैनी मौहल्ला, भरतपुर रोड, महवा।

— अभियुक्त—

जूर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री दुर्गाप्रसाद सैनी अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांक 21.3.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा हूँ। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश कमांक 637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 6.8.2017 को दोपहर बाद 01:14 पीएम बजे मैसर्स— माधोलाल मिष्ठान भण्डार, भरतपुर रोड, महवा, जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विकेता श्री सुरेश चन्द पुत्र श्री माधोलाल सैनी उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहां तो उसने खाद्य पदार्थ का रजिस्ट्रेशन न होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विकेता की दुकान पर एक स्टील की ट्रे में करीब 3—4 किग्रा गुलाबजामून (वनस्पति से निर्मित) आम जनता को बेचने हेतु रखे हुये थे, में मिलावट का शक होने पर इनमे से 2 किग्रा गुलाबजामून (वनस्पति से निर्मित) नमूने की जॉच हेतु खरीदे। जिनकी कीमत 400 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

यह है चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफबीओ के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा गुलाबजामून (वनस्पति से निर्मित) को कांच की बोतलों में बराबर—बराबर डालकर एयरटाइट ढक्कन बन्द कर कांच की बोतलों पर गोंद से चिपकाया। कांच की बोतलो को अलग—अलग खाकी कागज में लपेट कर किनारों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर उन पर डी.ओ व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.—1726 गोंद से उपर से नीचे पूरे राउण्ड पर चिपकाकर कांच की बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर कांच की बोतलों को

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चार–चार जगह उपर नीचे व साइडों में चपडी से सील मोहर कर कांच की बोतलों पर एफबीओ (विक्रेता) के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लिप व खाकी कागज पर आये व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विकेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विकेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सीलबंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिंया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च0श्रे0क0 मुख्यालय द्वारा दिनांक 8.8.2017 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहा जमा करवाये।

यह है कि नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 8.8.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 9.8.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ गुलाबजामून (वनस्पति से निर्मित) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./1820/एक्ट/2017/1892 दिनांक 23.8.2017 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ गुलाबजामून (वनस्पति से निर्मित) का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया।

न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस सुनी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त खाद्य पदार्थ गुलाबजामून (वनस्पति से निर्मित) का नमूना वनस्पति से निर्मित होना अप्रार्थी द्वारा व्यक्त किया गया है जबकि खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट में वनस्पति होना नहीं पाया गया है। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त खाद्य पदार्थ गुलाबजामून कई पदार्थो को मिलाकर तथा उनको गर्म किया जाकर बनाया जाता है जिससे उनका मूल स्वरूप बदल जाता है। इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गुलाबजामुन जिन पदार्थो से बनाया गया है उनका नमूना लेना चाहिये था जिससे यह स्पष्ट होता कि गुलाबजामुन बनाने में काम में लिये गये पदार्थ मिलावटी है या शुद्ध है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नियमानुसार नमूना नहीं लिया गया है। अतः प्रकरण को ड्रोप फरमावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./1820/एक्ट/2017/1892 दिनांक 23.8.2017 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ गुलाबजामून (वनस्पति से निर्मित) सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 60/2017 एफ एस एस ए एक्ट

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी श्री सुरेश चन्द पुत्र श्री माधोलाल सैनी एफबीओ मैसर्स– माधोलाल मिष्ठान भण्डार, भरतपुर रोड, महवा, जिला दौसा द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ गुलाबजामून (वनस्पति से निर्मित) सबस्टैण्डर्ड का विक्रय करने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप 15000/– (अक्षरे पन्द्रह हजार) रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 21.3.2018 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.3.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/8647-8649

दिनांकः– 21.3..2018

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को भेजकर लेख है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को समय–समय पर खाद्य पदार्थो की जांच हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान किया जाना सुनिश्चित करे।
3. श्री सुरेश चन्द पुत्र श्री माधोलाल सैनी एफबीओ मैसर्स– माधोलाल मिष्ठान भण्डार, भरतपुर रोड, महवा, जिला दौसा। निवासी सैनी मौहल्ला भरतपुर रोड महवा।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official